न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद बइजलास अम्बालाल मीणा आर0ए0एस0

प्रकरण स. 80/2014

बउनवान

1. रामभरोस उम्र 58 वर्ष पुत्र देवलाल
2. नेमीचंद उम्र 50 वर्ष पुत्र देवलाल जाति मोग्या निवासी जोगडा तह0 सांगोद।
3. द्वारकीलाल उम्र 45 वर्ष पुत्र देवलाल मोग्या निवासी जोगडा हाल निवासी दहीखेडा तहसील खानपुर जिला झालावाड

— प्रार्थीगण

बनाम

1. बसन्तीलाल पुत्र नन्दलाल ।
2. हजारीलाल पुत्र नन्दलाल ।
3. बाबूलाल पुत्र नन्दलाल ।
4. प्रहलाद पुत्र नन्दलाल ।
5. मथुरालाल पुत्र नन्दलाल ।
6. नेमीचन्द पुत्र डूंगरचन्द ।
7. छोटूलाल पुत्र डूंगरचन्द ।
8. गुलाब बाई पत्नी स्व. डूंगरचन्द जाति किराड निवासीगण जोगडी तह0 सांगोद जिला कोटा राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक 1-2-2016

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे की ग्राम जोगडी पटवार क्षैत्र हीगी तह. सांगोद में खसरा क्रमांक 176 की 0.01 है. व 177 की 6.75 है0 इस प्रकार कुल किता 2 की 6.76 है0 कृषि भूमि स्थित है, जो कि वर्षो से प्रार्थीगण के शाति पूर्वक उपयोग उपभोग मे चली आ रही है जिसमे वर्तमान मे सोयाबीन की फसल है जो कि कटाई के लिए तैयार है, प्राथीगण की उक्त कृषि भूमि के चारो तरफ मेड मौके पर मौजूद है, जो कि लगभग डेढ से 2 फुट की चौडाई मे मौजूद है।

प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि के सटवा दक्षिणीतरफ ख0न0 178 की कृषि भूमि स्थित है जो कि अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है परन्तु उक्त कृषि भूमि मौके पर अप्रार्थीगण के कब्जे में नही है। उक्त कृषि भूमि के सटवा उत्तरी तरफ ग्राम हरिपुरा की सीमा लगी हुई है। जिसका खसरा न.380 व ख.न. 382 उक्त कृषि भूमि से लगे हुऐ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष मे व अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफेसला वाद प्रदान की जाकिकि वे प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे की ग्राम जोगडी पटवार क्षेत्र हीगी तह0 सांगोद मे स्थित खसरा क्रमांक 176 की 0.01 है. व 177 की 6.75 है0 कृषि भूमि में प्रार्थीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी भी प्रकार से बाधा पहुचाने का प्रयास नही करे । और न ही प्रार्थीगण द्वार उक्त कृषि भूमि मे बोई गई फसल को नुकसान पहुचाने का प्रयास करे उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने नौकरो व एजेन्टो से ऐसा करावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक ने उपस्थित होकर कोई जवाब प्रस्तुत नही करना जाहिर किया । वकील प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गई। वकीलप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुऐ अवगत करवाया कि वाद की विषय वस्तु वादीगण की कृर्षि भुमि के सटवा उत्तरी तरफ ख.न. 178 की कृषि भूमि स्थित है जो कि अप्राथीगण के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है परन्तु उक्त कृषि भूमि अप्राथीगण के कब्जे में नही है। हमने बहस पर मनन किया वादपत्र एवं संलग्न रेकार्ड का अवलोकन किया प्रार्थीगण के प्रथमदृष्ट्या ठोस प्रकरण पर विचार किया। प्रार्थीगण विवादित आराजी ख.न. 176 की 0.01 है. व ख.न 177 की 6.75 है0 कुल किता 2 की 6.76 है. कृर्षि भूमि में जमाबंदी स्मवत् 2068–71 के अनुसार बतौर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। अप्रार्थीगण भी प्रार्थना पत्र की मद न. 3 के अनुसार वादीगण की कृषि भूमि के सटवा दक्षिणीतरफ ख0न0 178 की कृषि भूमि स्थित है जो कि अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है परन्तु उक्त कृषि भूमि मौके पर अप्रार्थीगण के कब्जे में नही है। परन्तु कब्जे नही होने मात्र से उनके आराजी पर उनके हक अधिकार समाप्त नही हो जाते है। उक्त कृषि भूमि के सटवा उत्तरी तरफ ग्राम हरिपुरा की सीमा लगी हुई है। जिसका खसरा न.380 व ख.न. 382 उक्त कृषि भूमि से लगे हुऐ है। इस प्रकार हमे प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण का प्रकरण पृथम दृष्ट्या ठोस प्रकरण स्पष्ट रूप से प्रतीत नही होता है। प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

अम्बालाल मीणा आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद